



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/ATY-704/MP/14/2022-APCR

Dated: 27.03.2023

To,

श्री पदम सिंह फरियादी,  
ग्राम रसकुंडिया,  
तहसील-महू,  
जिला-इंदौर,  
मध्य प्रदेश

विषय: गैरअनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों- द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करना, धमकी देना और मारपीट करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करने पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस की निष्क्रियता श्री पदम सिंह फरियादी -, जिला - इंदौर का अभ्यावेदन।

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **11.04.2023** समय **02:30** P. M. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभागार, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हो।

(अंकित कुमार सेन / Ankit Kumar Sen)  
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer